राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 42 सन 2018

अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र भाणु उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपुवाला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. भाणु उर्फ भानीराम पुत्र गणपतदास जाति स्वामी निवासी आपुवाला तहसील नोहर।
2. रणजीत 3 जगदीश पि0 भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
4 मनोहरी देवी पत्नि मलुराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर
5. कालुराम पुत्र मलुराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री मलुराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर
7. अनिल 8 राहूल पि0 शारदा पुत्री मल्लूराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
9. शान्ति 10 सावित्री 11 गायत्री पुत्रीया भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।
10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.05.2018

S.Zaidi

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आपूाला के खाता संख्या 18 के खसरा न0 57 / 81.10 , 49 / 12.00 बीधा भूमि वादीगण के दादा गणपतराम पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज थी।

वादीगण के दादा गणपतराम एव उनकी पत्नि का देहान्त हो गया है जिनके तीन पुत्र चुनीराम , भानीराम , अमीलाल पर वाद भूमि औद हुई तीनो पुत्रों ने खाता विभाजन कर लिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मोजा आपुवाला के खाता संख्या 52 / 56 के खसरा न0 49 / 1 की 1.5180हैक , खसरा न0 57 / 2 की 6.8670हैक कुल 8.3850हैक भूमि आई है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादीगण का वद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 उपस्थित आकर लोक भावना से प्ररित होकर निवेदन किया की वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के हक हिस्सा की

भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो एतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादीगण के दादा गणपतराम पुत्र सुखराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो गया है जिसके तीन पुत्रों पर वाद भूमि औद हुई है जिन्होने आपसी सहमति से विभाजन करने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई है।

प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र मलुराम का देहान्त हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 एवं पुत्री शारदा हुई शारदा का देहान्त हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 ,8 है इसप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 है जो पैतृक भूमि के हकदार है।

वादीगण के दादा गणपतराम के दोहन्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें कारण हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 6 ता 11 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 6 ता 11 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 52/56 के खसरा न0 49/1 की 1.5180हैक , खसरा न0 57/2 की 6.8670हैक कुल 8.3850हैक भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–फेफाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–फेफाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. कृष्णलाल पुत्र भाणु उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपुवाला तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 भाणु उर्फ भानीराम पुत्र गणपतदास जाति स्वामी निवासी आपुवाला तहसील नोहर।

2. रणजीत 3 जगदीश पि0 भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

4 मनोहरी देवी पत्नि मलुराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर

5. कालुराम पुत्र मलुराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर

6. सुमित्रा पुत्री मलुराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर

7. अनिल 8 राहूल पि0 शारदा पुत्री मल्लूराम पुत्र भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

9. शान्ति 10 सावित्री 11 गायत्री पुत्रीया भाणू उर्फ भानीराम जाति स्वामी निवासी आपूवाला तहसील नोहर।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 139 सन 2018 निर्णय दिनांक–07.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 52/56 के खसरा न0 49/1 की 1. 5180हैक , खसरा न0 57/2 की 6.8670हैक कुल 8.3850हैक भूमि में जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–फेफाना